छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका सं. 280/2001

श्री आर.पी.मिश्रा

विरूद्ध

भारत संघ व अन्य

आदेश हेतु दिनाँक 14/11/2006 को सुचीबद्ध

हस्ताक्षर
श्री धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ : बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 280/2001

श्री आर.पी.मिश्रा

विरूद्ध

भारत संघ व अन्य

उपस्थितः
याचिकाकर्ता द्वारा श्री पी. एस. कोशी, अधिवक्ता ।
उत्तरदातागण द्वारा श्री एस.के. बेरीवाल, स्थायी अधिवक्तागण सहित श्री अजय बराईके, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस याचिका द्वारा उत्तरदाता क्र. 1 द्वारा जारी अनुलग्नक पी-1 के दिनांक 5/1/2001 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत उत्तरदाता क्र. 2 कमांडेंट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.), इकाई भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई द्वारा अनुलग्नक पी-2 के दिनांक 7/6/2000 को पारित आदेश की पुष्टि की गई थी।

पी

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि, याचिकाकर्ता दिनाँक 15/7/1983 से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भिलाई इस्पात संयंत्र इकाई, भिलाई में कांस्टेबल के पद पर कार्य कर रहा था। उसे दिनाँक 15-9-1997 को विभागीय जांच में भाग लेने के लिए सी.आई.एस.एफ. इकाई के.एस.टी.पी.पी., कोरबा में अस्थायी ड्यूटी पर जाने के लिए अनुलग्नक पी-3 के तहत आदेश जारी किया गया था। जिस ट्रेन से वह कोरबा जा रहे थे, वह रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उपरोक्त दुर्घटना में याचिकाकर्ता के सिर पर कई चोटें आईं और उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई, साथ ही उसकी रीढ़ की हड्डी डी-6 और डी-7, और सी-4 और सी-5 में अस्थिभंग हो गया। उन्हें पहले के.एस.टी.पी.पी., कोरबा अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद आगे के उपचार के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र अस्पताल में

स्थानांतरित कर दिया गया। याचिकाकर्ता दिनाँक 30 जनवरी, 1998 तक अस्पताल में रहा। उसे दिनाँक 31 जनवरी, 1998 से मैदानी कार्य करने के अतिरिक्त हल्के प्रकृति के कार्य करने के लिए योग्य घोषित किया गया और तद्नुसार उसने दिनाँक 31 जनवरी, 1998 से अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया और उत्तरदातागण ने उसे हल्के प्रकृति के कार्य अर्थात कार्यालयीन कार्य और मेज़ के कार्य आवंटित किए।

3. याचिकाकर्ता को अनुलग्नक पी-4 द्वारा दिनांक 6/8-5-2000 को कारण बताओ सूचना जारी किया गया था, जिसमें उससे कारण बताने के लिए कहा गया था कि अनुलग्नक पी-5 के चिकित्सा विवरण के अनुसार उसके शारीरिक अंगशैथिल्य के कारण क्यों न उसे सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया जाए, जिसका याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक पी-6 और पी-7 के माध्यम से उत्तर दिया। चिकित्सा मंडल द्वारा दिनांक 4-4-2000 को अनुलग्नक पी-8 की सूचना का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने निवेदित किया कि वह बैठने की स्थिति में ड्यूटी करने की समर्थ था और केवल मैदानी कार्य के लिए अयोग्य था। याचिकाकर्ता को पुनः चिकित्सा परीक्षण हेतु चिकित्सा मंडल भेजा गया, जिन्होंने क्रमशः अनुलग्नक पी-10 और पी-11 के माध्यम से सूचना दी। इन सूचनाओं में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता बैठे अवस्था में कोई भी कार्य कर सकता है जैसे टेलीफोन परिचारक और मेज़ के कार्य आदि और यह कि उसकी हालत में तेज़ी से सुधार हो रहा है। उत्तरदातागण ने अनुलग्नक पी-2 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को उसकी शारीरिक अंगशैथिल्य के कारण तत्काल प्रभाव से सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया तथा अनुलग्नक पी-2 के अंतिम आदेश को रद्द करने की उसकी याचिका को अनुलग्नक पी-1 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदित किया है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद याचिकाकर्ता ने दिनाँक 31 जनवरी 1998 को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया क्योंकि उसे मैदानी कार्यों के अतिरिक्त अन्य हल्के कार्य करने के लिए चिकित्सकीय रूप से योग्य घोषित किया गया था। वह लगभग ढाई वर्ष की अवधि तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहा , जिसके बाद दिनाँक 6/8 मई, 2000 को उन्हें अनुलग्नक पी-4 के तहत कारण बताओ सूचना जारी किया गया। अनुलग्नक पी-10 और पी-11 में दी गई चिकित्सा मंडल की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता अब तक की तुलना में कम श्रमसाध्य प्रकृति की सेवा के लिए योग्य है और वह मेज़ पर बैठने का

कार्य, कार्यालयीन कार्य, टेलीफोन परिचारक आदि कार्य करने में सक्षम है तथा उसकी हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता की पुनर्विलोकन याचिका अनुलग्नक पी-1 के आदेश के द्वारा इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दी गई थी कि सी.आई.एस.एफ. संघ का एक सशस्त्र बल है और इसके सभी सदस्यों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए सभी तरह से योग्य होना चाहिए। सी.आई.एस.एफ. में कोई अलग पद स्वीकृत नहीं है, जिसमें कम मेहनत वाला कार्य होता है, इसलिए सी.आई.एस.एफ. में किसी भी निचले पद पर चिकित्सकीय रूप से अयोग्य व्यक्ति को नियुक्त करना संभव नहीं हो सकता है। हालाँकि, उपरोक्त आदेश भेदभावपूर्ण है और स्वीकृत तथ्यों के विपरीत है क्योंकि कई मामलों में, उत्तरदातागण ने कर्मचारियों को कार्यालय में हल्के कार्य देकर सेवा में बनाए रखा है। याचिकाकर्ता ने ***"नरेंद्र कुमार चांदला बनाम हरियाणा राज्य और अन्य एआईआर 1995 एससी 519" और "कुणाल सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (2003) 4 एससीसी 524 "*** के मामलों में दिए गए निर्णयों का अवलंब लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दूसरी ओर, उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता ने याचिका के प्राक्कथनों पर विवाद न करते हुए; जहां तक यह रोजगार, रोजगार के दौरान दुर्घटना और याचिकाकर्ता द्वारा दायर चिकित्सा मंडल के प्रमाण पत्रों से संबंधित है, प्रस्तुत किया है कि अनुलग्नक पी-10 और पी-11 के प्रमाण पत्रों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता डी-6 और डी-7 पर अस्थिभंग और कशेरुकाओं पर पुराने अस्थिभंग के परिणामस्वरूप, जिस विभाग से वह संबंधित है, उसमें किसी भी प्रकार की आगे की सेवा करने के लिए पूरी तरह से और स्थायी रूप से अक्षम पाया गया था। अनुलग्नक आर-2 की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता की निःशक्तता की सीमा लगभग 75% पाई गई थी। परिपत्र अनुलग्नक आर-3 के अनुसार, उत्तरदाता- संगठन द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि जो कर्मचारी चिकित्सकीय परीक्षण के पश्चात् सक्रिय सेवा या अन्य प्रकार से स्थायी रूप से अक्षम पाए जाते हैं, सक्षम प्राधिकारी ऐसे सरकारी कर्मचारी को सेवा से सेवानिवृत्त कर सकता है, यदि वह एक स्थायी सरकारी कर्मचारी है और उसे केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम-38 के तहत निःशक्तता पेंशन/ग्रेच्युटी आदि प्रदान कर सकता है और यह ऐसे निःशक्त व्यक्तियों पर भी लागू होता है जो सरकारी सेवा के कारण निःशक्तता प्राप्त करते हैं। याचिका के पैरा 6-डी में दिए गए विशिष्ट उदाहरणों का जवाब देते हुए, यह तर्क दिया गया है कि उत्तरदाता-संगठन में कांस्टेबल जीएन साहू और वी देवी दास, सीआईएसएफ इकाई भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई में तैनात, को ड्यूटी पर लौटने के लिए चिकित्सकीय रूप से

योग्य पाया गया और उन्हें हल्का कार्य दिए जाने की सिफारिश की गई और इन परिस्थितियों में, उन्हें सेवा में बनाए रखा गया है।

6. मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।

7. वर्तमान मामले में तथ्य विवादित नहीं हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता रेल दुर्घटना से ग्रस्त हुआ था और उसे ऐसी चोटें आईं जिनका वर्णन चिकित्सा मंडल की रिपोर्ट में किया गया है। यह भी विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ता को अस्पताल से उसके कार्यभार के आधार पर दिनाँक 31/1/1998 को सेवा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी और उसने उत्तरदातागण के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन तब तक किया जब तक कि वह दिनाँक 7 जून, 2000 को अनुलग्नक पी-2 के आदेश के तहत सेवा से सेवानिवृत्त नहीं हो गया। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम-38(4) में यह प्रावधान है कि जहां उपनियम-2 में निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी ने किसी शासकिय सेवक को उसकी वर्तमान सेवा से कम श्रमसाध्य प्रकृति की आगे की सेवा के लिए योग्य घोषित किया है, वहां उसे, यदि वह ऐसी सेवा के लिए राजी हो, निम्नतर पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए तथा यदि निम्नतर पद पर भी उसे नियुक्त करने का कोई साधन न हो, तो उसे निःशक्त पेंशन में शामिल किया जा सकता है। याचिकाकर्ता को अनुलग्नक पी-1 और पी-2 के आदेश द्वारा इस टिप्पणी के साथ सेवानिवृत्त किया गया है कि सीआईएसएफ में कोई अलग पद स्वीकृत नहीं है, जिसमें कम श्रम वाला कार्य होता है। इसलिए, सीआईएसएफ में किसी भी निचले पद पर चिकित्सकीय रूप से निःशक्त व्यक्ति को नियुक्त करना संभव नहीं हो सकता है। याचिका के पैरा 6-डी में व्यक्तियों के विशेष रूप से उद्धृत मामलों के मद्देनजर उपर्युक्त कारण को उचित नहीं ठहराया जा सकता है, जहां समान स्थिति वाले निःशक्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्त नहीं किया गया था और उन्हें कम श्रमसाध्य कार्य देकर सेवा में बनाए रखा गया था। इस तथ्यात्मक पहलू को उत्तरदातागण ने अपने अतिरिक्त विवरणी में स्वीकार किया है और इस प्रकार याचिकाकर्ता ने विभेद का मामला बनाया है। इसके अतिरिक्त, ***कुणाल सिंह*** (पुर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष सेवा ब्यूरो के एक कांस्टेबल की अपील पर विचार करते हुए, जिसे चिकित्सा मंडल की रिपोर्ट के आधार पर सेवा से निःशक्त घोषित कर दिया गया था, जिसके तहत उसे केंद्रीय सिविल सेवा [पेंशन] नियम 1972 के नियम-38 के तहत आगे की सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया था और निःशक्तता पेंशन दी गई थी, को निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पर विचार करते हुए अपील की अनुमति दी। (संक्षेप में, यहां 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित)। अधिनियम की धारा-47 नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है:

"**47. सरकारी नियोजन में विभेद का न किया जाना-**

(1) कोई स्थापन, ऐसे कर्मचारी, को जो सेवा के दौरान निःशक्त हो जाता है, सेवान्मुक्त या पंक्तिच्यूत नहीं करेगा;

परन्तु यदि कोई कर्मचारी निःशक्त हो जाने के पश्चात् उस पद के लिये जिसको वह धारण करता है, उपयुक्त नहीं रह जाता है तो उसे, उसी वेतनमान और सेवा संबंधी फायदों वाले किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

परन्तु यह और कि यदि किसी कर्मचारी को किसी पद पर समायोजित करना संभव नहीं है तो उसे समुचित पद उपलब्ध होने तक या उसके द्वारा अधिवार्षिता की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो पूर्वत्तर हो, किसी अधिसंख्य पद पर रखा जा सकेगा ।

(2) किसी व्यक्ति को, केवल उसकी निःशक्तता के आधार पर प्रोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा;

परन्तु यह कि समुचित सरकार, किसी स्थापन में किये जा रहे कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए यदि कोई हो, तो ऐसी अधिसूचना में विहित की जाए, किसी स्थापन को इस धारा के उपबंधों से छूट दे सकेगी।

कुणाल सिंह (पुर्वोक्त) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए यह कहा है:-

"**9.** अधिनियम का अध्याय VI निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित रोजगार से संबंधित है, जिन्हें अभी तक रोजगार नहीं मिला है। धारा-47, जो अध्याय

VIII में आती है, ऐसे कर्मचारी से संबंधित है, जो पहले से ही सेवा में है और अपनी सेवा के दौरान निःशक्तता प्राप्त करता है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि अधिनियम की धारा-2 में "निःशक्तता" और " निःशक्त व्यक्ति" की अलग-अलग परिभाषाएँ दी गई हैं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक ही अधिनियम में यदि किसी शब्द/अभिव्यक्ति को परिभाषित करने वाली दो अलग-अलग परिभाषाएँ दी गई हैं, तो उन्हें परिभाषा के अनुसार ही समझा जाना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि व्यक्ति अपनी इच्छा से निःशक्तता प्राप्त नहीं करता है या उससे पीड़ित नहीं होता है। एक कर्मचारी, जो अपनी सेवा के दौरान निःशक्तता प्राप्त करता है, उसे अधिनियम की धारा-47 के तहत विशेष रूप से संरक्षित करने की मांग की जाती है। निःशक्तता प्राप्त करने वाले ऐसे कर्मचारी को, यदि संरक्षित नहीं किया जाता है, तो न केवल वह स्वंय पीड़ित होगा, बल्कि संभवतः वह भी पीड़ित होंगे जो उस पर आश्रीत हैं। धारा-47 की रूपरेखा और विषय-वस्तु स्पष्ट रूप से इसकी अनिवार्य प्रकृति को इंगित करती है। धारा के शुरुआती भाग में लिखा है "कोई भी प्रतिष्ठान ऐसे कर्मचारी को बर्खास्त नहीं करेगा, या उसके पद में कमी नहीं करेगा, जो अपनी सेवा के दौरान निःशक्तता प्राप्त करता है"। धारा में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई कर्मचारी निःशक्तता प्राप्त करने के बाद उस पद के लिए उपयुक्त नहीं है, जिस पर वह पहले था, तो उसे उसी वेतनमान और सेवा लाभों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है; यदि किसी पद के विरुद्ध कर्मचारी को समायोजित करना संभव नहीं है, तो उसे उपयुक्त पद उपलब्ध होने या उसकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, अतिरिक्त पद पर रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को केवल उसकी निःशक्तता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा, जैसा कि धारा-47 की उपधारा (2) से स्पष्ट है । धारा-47 में स्पष्ट निर्देश है कि नियोक्ता किसी ऐसे कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाएगा या उसके पद में कटौती नहीं करेगा जो सेवा के दौरान निःशक्तता प्राप्त करता है। निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित सामाजिक लाभकारी अधिनियम के प्रावधान की व्याख्या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करते समय, उन्हें समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी देने के इरादे से, उस दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है और इसके उद्देश्य को पूरा करता है, न कि उस दृष्टिकोण को जो उद्देश्य में बाधा डालता है और अधिनियम के उद्देश्य को पंगु बनाता है। धारा-47 की भाषा स्पष्ट और निश्चित है जो सेवा के दौरान निःशक्तता प्राप्त करने वाले कर्मचारी की सुरक्षा के लिए नियोक्ता पर वैधानिक दायित्व डालती है।

8. जहां तक उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का प्रश्न है कि, याचिकाकर्ता को सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम-38 के अनुसार पेंशन मिल रही है, यह अधिनियम निःशक्त व्यक्तियों के लिए समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें पूर्ण भागीदारी प्रदान करने के लिए एक विशेष कानून है, यह उपरोक्त नियमों के नियम-38 का विशेष अधिनियमन होने के कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा-47 को अधिभावी नहीं कर सकता है। यहां तक कि अधिनियम की धारा-72 जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है, यह स्पष्ट करती है कि अधिनियम के प्रावधान वर्तमान मामले में लागू होते हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "72 **अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना न कि उसके अल्पीकरण में-** इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के या निःशक्त व्यक्तियों के फायदे के लिये अधिनियमित या जारी किए गये किन्हीं नियमों, आदेशों या इसके अधीन जारी किए गये किन्हीं अनुदेशों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।"

9. इसलिए, याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा-47 के तहत उसको उपलब्ध संरक्षण से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह नियम-38 के तहत निःशक्तता पेंशन प्राप्त कर रहा है। यह विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा के दौरान निःशक्तता प्राप्त की और आगे यह भी विचार करते हुए कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के पश्चात, वह 31 जनवरी, 1998 को अपनी सेवाओं में शामिल हुआ और लगभग 2 1/2 वर्ष की अवधि के लिए उसे सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन किया, यदि उत्तरदातागण को वह उस पद के लिए उपयुक्त नहीं लगा, जिस पर वह कार्यरत था, तो उसे समान

वेतनमान और सेवा लाभ के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जा सकता था; यदि उसे किसी पद के विरुद्ध समायोजित करना संभव नहीं था, तो उसे उपयुक्त पद उपलब्ध होने तक या उसकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, अतिरिक्त पद पर रखा जा सकता था। उत्तरदाता द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने अधिनियम की धारा-47 के अन्य प्रावधानों के प्रभाव पर विचार किए बिना यह मान लिया है कि वह(याचिकाकर्ता) सेवा में बने रहने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य है।

10. उपरोक्त चर्चा के आधार पर, याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है और तद्नुसार इसे स्वीकार किया जाता है। उत्तरदातागण को अधिनियम की धारा-47 के अनुसार (याचिकाकर्ता को) अनुतोष देने का निर्देश दिया जाता है।

11. वाद व्यय संबंधी कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर
श्री धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By - Adv Vartika